प्रेस विज्ञप्ति
14.08.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पटना ज़ोनल कार्यालय ने बिहार राज्य में शराब की अवैध आपूर्ति के मामले में 13.08.2025 को गुरुग्राम, रांची, नाहरलागुन, नामसाई और मुजफ्फरपुर में 07 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। इन तलाशियों के दौरान 75.6 लाख रुपये की नकदी , अनेक अपराध-संकेती सामग्री, दस्तावेज़ और डिजिटल उपकरण बरामद और जब्त किए गए।

बिहार राज्य में शराब की अवैध आपूर्ति के लिए मेसर्स सुनील भारद्वाज व अन्य के खिलाफ बिहार पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 के प्रावधानों के तहत विभिन्न एफआईआर और आरोप-पत्र के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जाँच से पता चला है कि सुनील भारद्वाज हिमाचल प्रदेश के सोलन में मेसर्स काला एएमबी ब्रेवरी एंड डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड का संचालन करता है और अरुणाचल प्रदेश के अपने सहयोगी दोरजी फुंत्सो ख्रीमे के साथ मिलकर, उसने अरुणाचल प्रदेश में डिस्टिलरी इकाइयाँ स्थापित करने और शराब की दुकानें चलाने के लाइसेंस हासिल करने के लिए कई संस्थाएँ स्थापित कीं ताकि उनका इस्तेमाल अरुणाचल प्रदेश में खपत के लिए बिहार और अन्य राज्यों में अवैध रूप से शराब की आपूर्ति करने के लिए किया जा सके। इसके अलावा, उन्होंने इन संबद्ध संस्थाओं का लाभ उठाकर बिहार में अवैध रूप से आपूर्ति की गई शराब के खरीदारों से भुगतान प्राप्त करने के लिए कई बैंक खाते खोले, जिससे अपराध की आय अर्जित हुई।

इस मामले में 05.12.2023 को 9.31 करोड़ रुपये की संपत्ति पहले ही कुर्क की जा चुकी है। इसके अलावा, इस मामले में अभियोजन पक्ष की शिकायत 19.05.2025 को दर्ज की गई है। वर्तमान तलाशी में, अवैध शराब बिक्री से संबंधित हस्तलिखित डायरियाँ और खाता बही, टैली खाते, संपत्ति के दस्तावेज और 75.6 लाख रुपये की नकदी सहित कई अपराध-संकेती दस्तावेज पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया।

आगे की जांच जारी है।